TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE (EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(18)/Rev. Deptt./GA br./Rev. P./ADM/2012/2/41

Dated: 22/11/12

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 454 dated 23.08.2012 Sh. M. K. Dwivedi, DANICS, Shri Rajeeva Shukla, DANICS and Shri Ranjeet Singh, DANICS have joined as Additional District Magistrate(South), (New Delhi) and (East) respectively on 31.08.2012(A/N), 25.08.2012(F.N.) and 01.09.2012(F.N.) respectively. Now, therefore,

- 1. In exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under section 6 read with section 76 of the said Act w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 2. In exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 3. In exercise of the powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 4. In exercise of the powers conferred by section 27(1)(a) of the Punjab land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 5. In exercise of the powers conferred by section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- 6. In exercise of powers conferred by section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint (1) Sh. M.K. Dwivedi, DANICS (2) Sh. Rajeeva Shukla, DANICS and (3) Sh. Ranjeet Singh, DANICS and delegate them the powers of hearing appeals under section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation) passed under section 21(3) of the said Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Kuldeen Singh Gangar)

Spl. Secretary (Revenue) / Dy. Commissioner(HQ)

F No. 7(18)/Rev. Deptt./GA br./Rev. P./ADM/2012/24 & 7
Copy forwarded for information and necessary action to:-

Dated: 22/11/11___

- 1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette(Extra Ordinary).
- 2. The Deputy Commissioner, District South, New Delhi, East, Delhii.
- 3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District South, New Delhi, East, Delhi.
- 1. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
- **5.** P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
- 6. Guard file.

(Ashok Kumar Sharma)

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-IV (HQ)

राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राजस्व विभाग 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली.

संख्या एफ 7(18)/रा. वि./ सा0प्र0/ अति. म. द./2012/2989

दिनांक 22/11/11

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 454 दिनॉक 23.08.2012 के संदर्भ में श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स) ने दिनांक 31.08. 2012(अपराहन), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) ने दिनांक 25.08.2012(पूर्वाहन) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स) ने दिनांक 01.09.2012 (पूर्वाहन) को क्रमशः अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण, जिला नयी दिल्ली एवं जिला पूर्व का कार्यभार सम्भाल लिया है । अतः-

- 1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स) को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- 2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स) को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शिक्तयां प्रदान करते हैं ।
- 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स) को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
- 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स) को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शिक्तयां प्रदान करते हैं।
- 5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स)को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शिक्तयां प्रदान करते हैं ।
- 6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एम0 के0 द्विवेदी (दानिक्स), श्री राजीवा शुक्ला(दानिक्स) एवं श्री रंजीत सिंह(दानिक्स)को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर (कुलदीप सिंह गंगर) विशेष सचिव (राजस्व) / उपायुक्त (मुख्यालय)

संख्या एफ 7(18)/रा. वि./ साठप्र०/ अति. म. द./2012/ २५४ ﴾ प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :- दिनांक ७२/11/1

- 1. उप-सचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
- 2. उपायुक्त, जिला दक्षिण, जिला नयी दिल्ली एवं जिला पूर्व दिल्ली ।
- 3. प्रांबंधित अधिकारीं को उपायुक्त जिला दक्षिण, जिला नयी दिल्ली एवं जिला पूर्व दिल्ली के माध्यम से ।
- . प्रणाली विषलेशक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतू)
 - 5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
 - 6. गार्ड फाइल ।

(अशोक कुमार शर्मा) उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-IV)